न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 99/2024 निर्णय दिनांक - 9-3-26
(जीसीएमएस संख्या 2024/573)

1. संगीता पत्नी पूनमचंद जाति खत्री निवासी पूगल तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. अशोक नाबालिक पुत्र पूनमचंद जाति खत्री निवासी पूगल तहसील पूगल जिला बीकानेर। जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता संगीता पत्नी पूनमचंद जाति खत्री निवासी पूगल तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. राजू नाबालिक पुत्र पूनमचंद जाति खत्री निवासी पूगल तहसील पूगल जिला बीकानेर। जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता संगीता पत्नी पूनमचंद जाति खत्री निवासी पूगल तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 29–10–2024
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचंद धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 29–10–2024 जिसके द्वारा अपीलांट् का दावा खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत भूमि मौजारोही पूगल के खसरा नं. 103 में 50 बीघा हाल आबाद चक 19 डीडी के मुरब्बा नं. 10/8 के किला नं. 1 ता 15, 18 ता 21 में 18 बीघा व मुरब्बा नं. 10/16 के किला नं. 1, 5, 6, 10, 11, 15 ता 18, 22 ता 25 में 13 बीघा, मुरब्बा नं. 10/24 के किला नं. 1. 2. 9 ता 14, 17 ता 24 में 15.10 बीघा, मुरब्बा नं. 11/9 के किला नं. 2 ता 4 में 3 बीघा कुल 49.10 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन अपीलान्टान के पति/पिता पूनमचन्द को तत्कालीन सक्षम आवंटन अधिकारी सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मुकाम छत्तरगढ़ के द्वारा दिनांक 24.09.1990 को किया गया, जिसका आवंटन पट्टा जारी कर दिया गया तथा मौके पर कब्जा सौंप दिया गया। तत्पश्चात् स्व. पूनमचन्द ने अपने उपरोक्त वर्णित भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे तथा झोपडी, छप्पर व पानी कुण्ड बनाकर अपीलान्टान सहित निवास करने लगे। उनकी मृत्यु के पश्चात् अब अपीलान्टान वादगत भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त आवंटन तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा नियमानुसार बारानी आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के बाद राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के समस्त क्षेत्र में बारानी आवंटन पर रोक लगा दी तथा उपरोक्त आवंटनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक 3(51) उप/97/दिनांक 30.10.2006 से नियमन हेतु आदेश दिये गये, जिसकी पालना में अपीलान्टान ने दिनांक 28.03.2008 को राशि रूपये 38324/–जरिये चालान जमा करा दी। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बार–बार निवेदन करने पर भी उक्त नियमन नहीं किया गया। चूंकि भूमि राजस्व रिकोर्ड में अराजीराज दर्ज कर दी गई थी। इस कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्टान को बार–बार, नाजायज काश्त मानकर बेदखल करने हेतु कार्यवाही किये जाने पर मजबूर होकर अपीलान्टान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणात्मक वाद व टी.आई का प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा। अपीलाटा के दावे को अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील के जरिये बिना किसी ठोस कारण के व युक्ति संगत कथन किये बिना प्रिम्चयोर स्टेज पर यह कहकर दावा निरस्त कर दिया कि वादी अधिकार अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर ही निर्णित हो जाता है तथा तदानुसार वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादी स्टेज खारिज किया जाता है। आदेश जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय साम्य एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्वान्तों के विपरित पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कानून के स्पष्ट प्रावधानों के विपरित पारित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों, तथ्यों एवं कानून पर गौर किये बिना मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से आदेश जैर अपील पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टान ने दिनांक 22.07.2017 को एक घोषणात्मक एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 06.07.2017 को किसी अन्य व्यक्ति तेजाराम पुत्र उदाराम की तरफ से पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत हुआ, जिसका जवाब अपीलान्टान की ओर से दिनांक 26.07.2017 को प्रस्तुत हो गया। तत्पश्चात् पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के बहस हेतु 3 साल तक चलती रही। तत्पश्चात् अचानक पत्रावली को अदम हाजरी अदमी पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिसे पूनः रेस्टोर कर पत्रावली को पक्षकार बनने के आवेदन पर बहस हेतु नियत ना कर जवाब हेतु नियत कर दी गई तथा दिनांक 04.05.2022 को पक्षकार बनने का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 10.05.2022 को रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश हुआ तथा आगामी पेशी पर तनकीयात कायम कर दी गई। उक्त तनकीयात दावे व जवाब दावे के अनुसार सही तनकीयात कायम नहीं की गई जो संशोधन योग्य है तथा साक्ष्य हेतु पत्रावली नियत की गई। अपीलान्टान की ओर से अपने साक्ष्यों हेतु शपथ पत्र दिनांक 01.06.2022 को प्रस्तुत कर दिया गया, जिस पर किसी जिरह कराये बिना उसी दिन पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत कर दी गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ तथा पत्रावली को अन्तिम बहस हेतु नियत कर दिया गया। आगामी पेशी दिनांक 16.08.2022 को अपीलान्टा की और मौका कमिश्नर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, जिस पर रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई विरोध नहीं होते हुए दिनांक 09.11.2022 को उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 30.11.2022 नियत की गई। दिनांक 30.11.2022 को अपीलान्टा अपने अभिभाषक के जरिये उपस्थित हुई, लेकिन पत्रावली पेशी में नही लगी तथा पूछने पर कहा गया कि पत्रावली को पेशी में लेकर के आपको सूचना कर दि जायेगी। अपीलान्टा उस दिनांक के बाद कई बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई, लेकिन ना तो पत्रावली की जानकारी मिली, ना ही आगामी तारीख पेशी ही दी गई। बारबार पूछने पर यही कहा गया कि लम्बा समय हो गया है, जब भी पेशी में आयेगी, आपको दूबारा नोटिस देकर बूला लेंगे। तत्पश्चात् अचानक दिनांक 22.02.2024 को पत्रावली पेशी में ली गई। वकील अपीलान्टा की उपस्थित दर्ज करते हुए

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया, जबकि अपीलान्टा के अभिभाषक को किसी प्रकार की सूचना ना थी. ना दी गई। फर्दअहकाम में अपीलान्टा या उनके अभिभाष के हस्ताक्षर नहीं होने, इस तथ्य की पुष्टि करता है। तत्पश्चात् बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये पत्रावली को बहस में दर्ज करते रहे। अब आदेश जैर अपील उक्त दिनांक को अपीलान्टा के अधिवक्ता के उपस्थित के हस्ताक्षर करवाकर बिना बहस सूने उसी दिन पत्रावली में आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जिसकी सूचना अपीलान्टा या अपीलान्टा के अभिभाषक को नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से आदेश जैर अपील पारित किया है। आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील इस कारण दूषित है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टा का घोषणात्मक वाद विचाराधीन था, जिसमें साक्ष्य हेतु अपीलान्टा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। उक्त शपथ पत्र पर रेस्पोडेन्ट की ओर से ना तो अपीलान्टा से जिरह की गई, ना ही अपीलान्टा के वाद के खण्डन हेतु रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार अपीलान्टा का दावा खण्डन ना होने के कारण डिक्री किये जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष विचारित वाद में तनकीयात कायम की। उक्त तनकीयात अपीलान्टा के वाद पत्र एवं रेस्पोडेन्ट के जवाब दावा को आधार बनाकर तैय नहीं की गई। अपीलान्टा ने स्पष्ट रूप से अपने दावे में यह अनुतोष चाहा था कि वादगत भूमि उनके नाम से नियमन की जाकर राजस्व रिकोर्ड में अंकन फरमावें, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बाहर जाकर तनकी कायम की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश रिकॉर्ड के विपरीत पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का दावा साबित था। अपीलांट का दावा डिक्री होने योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस आधार के अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल का आदेश दिनांक 29–10–2024 निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अराजीराज दर्ज है। अपीलांट का प्रकरण 24–09–1990 के आवंटन से संबंधित है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नियमन,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करवाना चाहती है। कब्जे के आधार पर नियमन की कार्यवाही नही की जा सकती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए का प्रस्तुत कर अपीलाधीन भूमि को अपीलांट के नाम नियमन करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील व दावे में अभिकथन किये गये कि अपील अपीलाधीन भूमि अपीलांट/वादी के पिता/पति पूनमचंद पुत्र केवलराम को दिनांक 24–09–1990 को आवंटित हुई थी। वादीगण इस भूमि पर झोपड़ी, छपपर व पानी का कुण्ड बनाकर परिवार सहित काबिज काश्त है। सिंचाई विभाग से पानी की बारी वादीगण के नाम है। वादीगण द्वारा मौके पर सरसो व गेहूँ की फसल काश्त कर रखी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30–10–2006 की पालना में वादीगण द्वारा चालान संख्या 457 दिनांक 28–03–2008 द्वारा 38324/–रू. सरकार में जमा करवा दिये गये। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24–009–1990 के संबंध में नियमन के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में गलत रूप से तनकीयात कायम कर इन तनकीयो का विवेचन किये बिना पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो की अनदेखी करते हुए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19–05–2006 की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश होने के बाद दिनांक 10–05–2022 को स्टेट द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 18–05–2022 द्वारा प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की गई। इसके पश्चात प्रकरण में साक्ष्य वादी के पश्चात बाद बहस अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तीन तनकीयात कायम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की गई परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करने समय किसी भी तनकी की तार्किक विवेचना नही की गई। ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया। जबकि विधिक स्थिति स्पष्ट है कि प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक तार्किक विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश दिनांक 24–09–1990 पर भी कोई विवेचन नही किया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19–05–2006 में दिनांक 24–09–1990 को किये गये कुल 371 आवंटनो को नियमित करने के संबंध में निर्देश पारित किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस परिपत्र के संबंध में कोई तार्किक विवेचन नही किया गया कि इस प्रकरण में परिपत्र के प्रावधान लागू होते है अथवा नही?

प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय में जवाब स्टेट में यह तथ्य स्वीकार किये गये है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट/वादीगण का कब्जा काश्त है। मौके पर ढाणी, मकान, टयुबवेल आदि बने हुए है। अतः यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि पर काबिज है। साथ ही अपीलांट द्वारा जरिये चालान संख्या 457 दिनांक 28–03–2008 द्वारा 38324/–रू. सरकार में जमा करवा दिये गये।

इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध जवाब स्टेट, वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य (आवंटन आदेश, चालान आदि) तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19–05–2006 तथा अद्यतन परिपत्रो के आलोक में तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड, पूगल को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, राज्य सरकार के समय–समय पर जारी व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक तार्किक विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 9-3-26 को लिखाया सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर